BSF Rules, 1969 - Courts of Inquiry
(BSF नियम, 1969 - जाँच न्यायालय)

1. Under Rule 170, a Court of Inquiry may have one or more members, and persons NOT subject to the Act may be appointed when the matter is of what nature? / नियम 170 के अनुसार जाँच न्यायालय में एक या अधिक सदस्य हो सकते हैं, और मामला किस प्रकृति का हो तो अधिनियम के अधीन न आने वाले व्यक्ति भी नियुक्त किए जा सकते हैं?
 (a) Financial only / केवल वित्तीय
 (b) Disciplinary / अनुशासनात्मक
 (c) Routine / सामान्य
 (d) Specialised / विशेषज्ञ
2. Under Rule 171, a Court of Inquiry may be assembled on the order of a Commandant or whom? / नियम 171 के अनुसार जाँच न्यायालय कमांडेंट या किसके आदेश पर गठित किया जा सकता है?
 (a) The Chief Law Officer only / केवल मुख्य विधि अधिकारी
 (b) A magistrate / मजिस्ट्रेट
 (c) Any officer or authority superior to the Commandant / कमांडेंट से वरिष्ठ कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी
 (d) Any Assistant Commandant / कोई भी सहायक कमांडेंट
3. Under Rule 173(1), the proceedings of a court of inquiry are NOT open to whom? / नियम 173(1) के अनुसार जाँच न्यायालय की कार्यवाही किसके लिए खुली नहीं होती?
 (a) The person whose conduct is examined / जिसके आचरण की जाँच हो रही है
 (b) The public / जनता
 (c) The members / सदस्यों
 (d) The witnesses / गवाहों
4. Under Rule 173(6), who is NOT allowed to appear before a court of inquiry? / नियम 173(6) के अनुसार जाँच न्यायालय के सामने कौन पेश नहीं हो सकता?
 (a) Counsel or legal practitioner / वकील या विधि व्यवसायी
 (b) Witnesses / गवाह
 (c) The person affected / प्रभावित व्यक्ति
 (d) Officers of the Force / बल के अधिकारी
5. Under Rule 173(8), before giving an opinion against a person, the court lets him know everything said against him and lets him do what? / नियम 173(8) के अनुसार किसी व्यक्ति के विरुद्ध राय देने से पहले न्यायालय उसे उसके विरुद्ध कही गई सब बातें बताता है और उसे क्या करने देता है?
 (a) Appoint a counsel / वकील नियुक्त करना
 (b) Choose the members / सदस्य चुनना
 (c) Appeal to the High Court / उच्च न्यायालय में अपील
 (d) Cross-examine witnesses against him / अपने विरुद्ध गवाहों से जिरह
6. Under Rule 173(9), a witness's answers before a court of inquiry cannot be used against him later, except on a charge of giving what? / नियम 173(9) के अनुसार जाँच न्यायालय में गवाह के उत्तर बाद में उसके विरुद्ध प्रयोग नहीं हो सकते, सिवाय किस आरोप के?
 (a) False evidence before that court / उस न्यायालय में झूठा साक्ष्य देना
 (b) Disobedience of orders / आदेशों की अवहेलना
 (c) Absence without leave / बिना छुट्टी अनुपस्थिति
 (d) Any offence under the Act / अधिनियम के तहत कोई भी अपराध
7. Under Rule 174(2)(b), for injuries likely to cause full or partial disability, the court decides whether the injuries were what? / नियम 174(2)(b) के अनुसार पूर्ण या आंशिक विकलांगता करने वाली चोटों में न्यायालय तय करता है कि चोटें कैसी थीं?
 (a) Treated in time or not / समय पर इलाज हुआ या नहीं
 (b) Caused by the enemy or not / शत्रु के कारण थीं या नहीं
 (c) Attributable to service or not / सेवा के कारण थीं या नहीं
 (d) Serious or minor / गंभीर या मामूली
8. Under Rule 176, a person against whom a court of inquiry gives an opinion gets copies of the proceedings, unless ordered otherwise by whom? / नियम 176 के अनुसार जिस व्यक्ति के विरुद्ध जाँच न्यायालय राय दे, उसे कार्यवाही की प्रतियाँ मिलती हैं, जब तक कौन अन्यथा आदेश न दे?
 (a) The Commandant / कमांडेंट
 (b) The Director-General / महानिदेशक
 (c) The Inspector General / महानिरीक्षक
 (d) The Central Government / केंद्र सरकार
9. Under Rule 174(2)(a)(i), in case of an unnatural death, an immediate report is sent to the officer-in-charge of what? / नियम 174(2)(a)(i) के अनुसार

अप्राकृतिक मृत्यु होने पर तुरंत रिपोर्ट किसके प्रभारी अधिकारी को भेजी जाती है?

(a) The Frontier HQ / फ्रंटियर मुख्यालय

(b) The police station / पुलिस थाना

(c) The district hospital / ज़िला अस्पताल

(d) The Sector HQ / सेक्टर मुख्यालय

10. Under Rule 174(2)(d), a court of inquiry into loss of secret documents is ordered by an officer or authority superior to whom? / नियम 174(2)(d) के अनुसार गुप्त दस्तावेज़ खोने की जाँच का आदेश किससे वरिष्ठ अधिकारी या प्राधिकारी देता है?

(a) The DIG / DIG

(b) The IG / IG

(c) The officer who lost it / दस्तावेज़ खोने वाला अधिकारी

(d) The Commandant of the unit holding the document / दस्तावेज़ रखने वाली यूनिट का कमांडेंट

11. Under Rule 175, the presiding officer submits the proceedings of a court of inquiry to whom? / नियम 175 के अनुसार पीठासीन अधिकारी जाँच न्यायालय की कार्यवाही किसे सौंपता है?

(a) The Central Government / केंद्र सरकार

(b) The person affected / प्रभावित व्यक्ति

(c) The officer or authority who ordered the court / न्यायालय का आदेश देने वाला अधिकारी या प्राधिकारी

(d) The Chief Law Officer / मुख्य विधि अधिकारी

Answer Key / उत्तर कुंजी

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
1	D	2	C	3	B	4	A
5	D	6	A	7	C	8	B
9	B	10	D	11	C		